



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 438 राँची, मंगलवार,

14 सितम्बर, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

11 सितम्बर, 2020

विषय - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (State Disaster Management Authority) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (District Disaster Management Authority) के सुदृढीकरण हेतु ODMP (Other Disaster Management Project) के तहत कार्यरत पदाधिकारियों के सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।

संचिका सं.-14/आ.प्र.(13FC)22/2014(खण्ड)-3042/आ.प्र.-- विभागीय संकल्प संख्या-209 दिनांक-17.02.2016 के आलोक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के बीच संपन्न MoU (Memorandum of Understanding) के अनुसार ODMP (Other Disaster Management Project) के तहत SDMA एवं DDMA के सुदृढीकरण हेतु प्रथम किस्त के रूप में कुल 54.00 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में छः माह के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के लिए 02 (दो) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के लिए 10 (दस) Disaster Professionals रखा जाना था, जिसके लिए क्रमशः 50,000/- एवं 40,000/- प्रति मानव संसाधन मानदेय निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना को दिनांक-31.03.2018 तक विस्तारित किया गया।

2. राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-16.01.2018 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के बीच संपन्न MoU में निर्धारित शर्तों/ कार्यों के लिए मुख्यालय स्तर पर कार्यरत 02 क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर कार्यरत 09 जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों को उनसे सहमति पत्र प्राप्त कर उनकी संविदा अवधि माह अक्टूबर, 2017 के प्रभावी तिथि से मार्च, 2018 तक नवीन योजना (भारत सरकार द्वारा संपोषित ODMF योजना) के अंतर्गत समायोजित किया गया। उस समय से प्रति वर्ष नियमानुसार संविदा अवधि विस्तारित की जा रही है।
3. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2020 के लिये निर्धारित राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) संबंधी मार्गदर्शिका (पत्रांक-33-05/2015-NDM-I दिनांक-30.07.2015) की कंडिका- 18.1 (परिशिष्ट-I) के अनुसार 14 वें वित्त आयोग अन्तर्गत राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक कर्णांकित राशि का 5% का उपयोग क्षमता संवर्द्धन संबंधी कार्यों पर दिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान राशि से ही इनका भुगतान किया जाता है, जो पूर्णतः SDRF की राशि है। गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-33-05/2020-NDM-I दिनांक-9.04.2020 द्वारा पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका तथा मद एवं मापदण्ड से संबंधित पत्र को अगले आदेश/एक वर्ष तक के लिए विस्तारित किया गया है।
4. भारत सरकार द्वारा गठित 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक आपदा प्रबंधन के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक कर्णांकित राशि का 5% क्षमता संवर्द्धन कार्यों के लिए प्रावधानित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी राज्य आपदा मोचन निधि के क्षमता संवर्द्धन हेतु कुल राशि-21,08,95,000/- (एक्कीस करोड़ आठ लाख पंचानबे हजार) रुपये का बजटीय प्रावधान है, जिसके अंतर्गत संविदा भत्ता में राशि- 45,60,000/- (पैंतालीस लाख साठ हजार) रुपये मात्र है।
5. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आपदा मोचन निधि के क्षमता संवर्द्धन की कर्णांकित राशि का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में कार्यरत संविदा पदाधिकारियों का आगामी एक वर्ष (दिनांक-01.04.2020 से 31.03.2021 तक) के लिए संविदा अवधि विस्तार पर होने वाले व्यय का प्राक्कलन निम्न प्रकार से है-

क्र०सं०	पदनाम	संख्या	प्रतिमाह मानदेय (रू० में)	एक वर्ष हेतु कुल संविदा राशि (रूपये में)
1	क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी	02	50,000/-	12,00,000/-
2	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	07	40,000/-	33,60,000/-
कुल योग				45,60,000/-

6. राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-23.03.2020 को संपन्न बैठक की कार्यवाही संख्या-03 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढीकरण हेतु ODMP के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन की संविदा अवधि एक वर्ष के लिए विस्तारित करने एवं उनपर होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रावधानित राशि से करने के प्रस्ताव पर समिति की सहमति प्राप्त है।

7. उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में ODMP के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन (राज्य स्तर पर क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी) की संविदा अवधि एक वर्ष के लिए विस्तारित करने एवं उनपर होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रावधानित राशि से निम्नरूपेण करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढीकरण हेतु ODMP (Other Disaster Management Project) के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन - 02 (दो) क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी एवं 07 (सात) जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की सेवा अवधि एक वर्ष (दिनांक-01.04.2020 से 31.03.2021 तक) विस्तार किया जाता है।

(ii) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढीकरण हेतु ODMP (Other Disaster Management Project) के तहत कार्यरत मानव संसाधन की विस्तारित सेवा अवधि पर होनेवाले व्यय संविदा राशि कुल 45,60,000/- (पैंतालीस लाख साठ हजार) रुपये को वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि के निम्न बजट शीर्ष के अंतर्गत क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा -
मांग सं.-39

मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत/

उप मुख्यशीर्ष -80-सामान्य/

लघु शीर्ष-101-विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र/

उप शीर्ष -16-14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन/

विस्तृत शीर्ष -01-वेतन एवं भत्ते/08-संविदा भत्ता

(विपत्र कोड-39S224580101160108)

(ii) उक्त पदाधिकारियों का संविदा राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन प्रभाग के द्वारा किया जाएगा।

8. उपरोक्त के आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के संलेख ज्ञापांक-2903 दिनांक-17.08.2020 के क्रम में दिनांक-08.09.2020 की बैठक के मद सं.-03 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,

सरकार के सचिव।
